2047 तक विकसित कृषि का रोडमैप तैयार

आईसीएएआर के मंच से कृषि मंत्री चौहान ने गिनाए कृषि बदलाव के सात बड़े लक्ष्य

नई दिल्ली, 31 जुलाई. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 98वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-2047 के लिए कृषि क्षेत्र का व्यापक रोडमैप पेश किया. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को केवल खाद्यान्न उत्पादन में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक, नवाचार और जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में भी विश्व अग्रणी बनाना होगा.

अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'किसान देश की आत्मा हैं और वैज्ञानिक उसका मस्तिष्क'. उन्होंने जोर दिया कि जब किसानों का परिश्रम, वैज्ञानिकों का शोध और सरकार की नीतियां एक साथ काम करती हैं, तभी कृषि क्षेत्र में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है. केंद्रीय मंत्री ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किए. इनमें 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करना, आईसीएआर के प्रत्येक संस्थान से एक परिवर्तनकारी नवाचार तैयार करना, 100वें स्थापना वर्ष तक 10 करोड़ किसानों तक आईसीएआर की तकनीक पहुंचाना, कृषि विज्ञान केंद्रों को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना तथा आईसीएआर ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को मोबाइल पर मुफ्त वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराना शामिल है. उन्होंने नकली बीज और कीटनाशकों की समस्या को गंभीर बताते हुए इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने और ऐसी तकनीक विकसित करने पर बल दियाजिससे किसान खेत पर ही बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच कर सकें. साथ ही उन्होंने आईसीएआर को 2029 तक अपनी तकनीकों, वैक्सीन, नई किस्मों और लाइसेंसिंग के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की आंतरिक संसाधन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी सुझाया.

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, रामनाथ ठाकुर, भागीरथ चौधरी और एस.पी. सिंह बघेल सहित कृषि वैज्ञानिक और देशभर से आए विशेषज्ञ उपस्थित रहे. शिवराज ने कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना तभी साकार होगा, जब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकें तेजी से किसानों के खेतों तक पहुंचें और उनका प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण भारत को मिले.

37.72 लाख अपात्र राशन कार्डधारकों पर कार्रवाई शुरू

लखनऊ, 31 जुलाई. उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू हो गया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में 37,72,629 लोग ऐसे पाए गए, जो पात्र न होने के बावजूद मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे. यह जानकारी आधार लिंक डिजिटल सत्यापन और विभागीय ऐप के जरिए सामने आई है. केंद्र द्वारा 56,94,540 संदिग्ध राशन कार्डों की पहचान किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ति निरीक्षकों से उनका भौतिक सत्यापन कराया. जांच के बाद पोर्टल पर 37,72,629 लाभार्थियों को अपात्र चिह्नित किया गया. इनमें से 35,37,352 लाभार्थियों का डेटा निरस्त कर दिया गया.

विकास एजेंडे के साथ मोदी से मिले साय

10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना पर मांगा सहयोग

नई दिल्ली, 31 जुलाई. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं और बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को नई गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया. उनका कहना था कि यह परियोजना प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर सृजित करेगी. इसके अलावा कृषि क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध होने से किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी.

मुख्यमंत्री ने बस्तर के उन 461 गांवों का मुद्दा भी उठाया, जहां सुरक्षा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अब तक विद्युत ग्रिड नहीं पहुंच सका है. वर्तमान में इन गांवों में ऑफ-ग्रिड व्यवस्था से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने इन क्षेत्रों में स्थायी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की. साय ने प्रधानमंत्री से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए) स्थापित करने का भी अनुरोध किया.

बंगाल में जैश का संदिग्ध दबोचा

शुभेंदु अधिकारी की रेकी के मिले संकेत

कोलकाता, 31 जुलाई. पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने पुरबा बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के एक संदिग्ध सदस्य हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है.

इस कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियां एक संभावित आतंकी नेटवर्क और उसके देश-विदेश में फैले संपर्कों की गहन जांच में जुट गई हैं. आरोपी पिछले दो से तीन महीनों से बर्दवान कस्बे के एक आवासीय परिसर में किराए के मकान में रह रहा था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था. बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की कथित रेकी के संकेत होने की बात सामने आई है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि किसी हमले की ठोस साजिश तैयार हो चुकी थी. फिलहाल सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है.संदिग्ध के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद तथा पुलवामा हमले के आरोपी सज्जाद भट से संभावित संपर्कों की भी जांच की जा रही है. एजेंसियां उसके कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों, डिजिटल चैट और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था या नहीं. एसटीएफ और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं

सच जान चुके युवाओं को डराया नहीं जा सकता

सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है : खरगे

नई दिल्ली, 31 जुलाई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर छात्र आंदोलन के बाद प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का युवा सरकार का सच जान चुके इसलिए उन्हें अब डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता है.

श्री खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 10 दिन पहले सरकार ने युवाओं पर लाठी-डंडों और पेलेट गन का इस्तेमाल किया और अब आंदोलन वापस लेने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है. उन्होंने कहा कि युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए जा रहे हैं, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है और सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि अब ऐसे हथकंडे नहीं चलेंगे क्योंकि युवा सरकार का सच जान चुका है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेने की भी मांग दोहराई.

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जेन जेड को धमकाकर चुप नहीं करा सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया.

ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद

नई दिल्ली, 31 जुलाई. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि ऐसी घटना थी जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया.

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

Sr. No.	Title and Tender ID No	Bid Due Date	Bid Opening Date
01	CONCEPTUALISING, BRANDING, DESIGNING ARTWORKS, GRAPHICS AND ILLUSTRATIVE SIGNAGES FOR THE ZOOLOGICAL PARK, CHHATRAPATI SAMBHAIJANAGAR 2026_ASCDC_1323976_1	07 AUG 2026 5.00 p.m.	08 AUG 2026 5.00 p.m.

The tender document can be download from https://www.mahatenders.gov.in

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

कार्यालय देवास नगर पालिक निगम, देवास

क्रमांक / 95 / राजस्व / 2026 — देवास दिनांक 24/07/2026

निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेन्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_523943_1 24/07/2026	अनुरक्षण शुल्क का ठेका 1 वर्ष के लिए दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।	14,51,000/-	2,000/- 43,530/-	14/08/2026 06:00 PM

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन ई टेण्डर की www.mptenders.gov.in वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

मराल ओवरसीज़ लिमिटेड

maral — PROUD TO BE INDIAN PRIVILEGED TO BE GLOBAL

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255

पंजीकृत कार्यालय: मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन – 451 660, (मध्य प्रदेश)
फोन: +91-7285-265401-265404, 265417

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12 सेक्टर–1, नोएडा – 201 301, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–दिल्ली)
फोन: +91-120-4390300, 4390000 (EPABX)
ईमेल: maral.investor@lnjbhilwara.com; वेवसाइट: www.maraloverseas.com

37वीं वार्षिक आम बैठक ("37वीं एजीएम") एवं रिमोट ई–वोटिंग की सूचना

28 जुलाई, 2026 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मराल ओवरसीज़ लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों का 37वीं एजीएम मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को अपराह्न 2:00 बजे, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या सेबी द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र(ओं) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 37वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित किया जाएगा। वार्षिक आम बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

37वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई हैं, जिनके पास शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 तक शेयर प्रतिरक्षित हों तथा जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उन सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है, को 37वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट के सटीक पथ सहित वेब–लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए maral.investor@lnjbhilwara.com पर अनुरोध करेंगे।

ई–वोटिंग की कट–ऑफ तारीख अर्थात् मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:–

i) 37वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जाएगा;

ii) रिमोट ई–वोटिंग **शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 को 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)** आरम्भ होगी; तथा **सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)** समाप्त होगी;

iii) ई–वोटिंग अथवा 37वें एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु **कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 18 अगस्त, 2026** है;

iv) कोई भी व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयर खरीदता है और कम्पनी द्वारा ईमेल के माध्यम से 37वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है एवं **18 अगस्त, 2026 ("कट–ऑफ तारीख")** तक शेयर प्रतिरक्षित रखता है, वह evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल को या कम्पनी के ईमेल पते maral.investor@lnjbhilwara.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है;

v) सदस्य कृपया ध्यान दें कि: **क)** मतदान हेतु उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; **ख)** जिन सदस्यों ने 37वीं एजीएम की तिथि से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला हो, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु 37वें एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे; **ग)** 37वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला हो, वे 37वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने हेतु अधिकृत होंगे; एवं **(घ)** वह व्यक्ति जिसका नाम ई–वोटिंग हेतु कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग लेने तथा 37वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग करने हेतु अधिकृत होगा।

vi) 37वें एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.maraloverseas.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

vii) किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, डिप्टी वाईस प्रेसिडेंट, एनएसडीएल से तृतीय तल, नमन चौंबर, प्लॉट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र – 400 051 एवं निर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

viii) जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपने ईमेल पते पंजीकृत करा लें:

क. भौतिक रूप शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों हेतु, कृपया फॉर्म ISR–1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी, जिसमें आपका फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की प्रति (सामने और पीछे), पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ–साथ पैन की स्कैन की गई स्व–सत्यापित प्रति का उल्लेख हो, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड ("आरटीए") को 179–180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 पर भेजें।

ख. डीमैट रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों हेतु, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपना ईमेल पता अद्यतनित करें।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ हेतु जारी की जा रही है एवं यह एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मराल ओवरसीज़ लिमिटेड
हस्ता/–
संदीप सिंह
कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या एफसीएस – 9877

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 31 जुलाई, 2026

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, नीचे उल्लिखित सीसी संख्या में तहसीलदार के माध्यम से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को भौतिक कब्जा सौंप दिया है।

ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के लिए, ब्याज सहित, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, मांग नोटिस की तिथि से जब्त किया जाएगा। ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	देनदार का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि	मांग नोटिस के अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / भौतिक कब्जे की तिथि	आदेश दिनांक / सीसी नं.
TCHHL02840 00100248814, TCHHF02840 00100251421, TCHIN028400 0100252193	श्री जय कश्यप (उधारकर्ता) और श्रीमती सोनम कश्यप (सह-उधारकर्ता)	रू. 20,67,455/- और रू. 9,45,916/- और रू. 93,576/-	03.12.2025 / 29.07.2026	30.06.2026 / केस सं. 0075/बी-121/2026-27

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति/गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण: "इंदिरा एकता नगर" में स्थित अचल संपत्ति, मकान नंबर 276, वार्ड नंबर 51, ग्राम मुसाखेड़ी, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट (यानी 46.46 वर्ग मीटर) है। सीमाएँ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: मोहन गुड़िया का घर, उत्तर: सड़क, दक्षिण: नेहा बाई का घर।

दिनांक:- 01.08.2026
स्थान:- इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कार्यालय नगर परिषद कुक्षी जिला धार म.प्र.

धार चिखल्दा मार्ग वार्ड 05 कुक्षी जिला धार, ई-मेल - cmokukshi@mpurban.gov.in

No. / ई-टेंडर/ नि.शा./2026/1566-68 — कुक्षी दिनांक:- 31/07/2026

/ / ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

एतत द्वारा समस्त केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाईन प्रतिशत दर कम / अधिक पर निचे उल्लेखित कार्यों के लिए इस निविदा सूचना मे दर्ज दिनांक तक मप्र शासन के आनलाईन टेंडर पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

स. क्र.	ई-टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का विवरण	PAC / कार्य पूर्णत समयावधि	अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	2026_UAD_525966_1	Construction of Paver Block in front of New Nagar Parishad Office Building and campus area Kukshi	14.63 Lakh 02 माह	10970/- 2000/-	02-09-2026 06.00 PM
2	2026_UAD_525978_1	Electrification works Near Manprit Complex Laxmi colony ward 01 of Kukshi town	77930/- 01 माह	2000/- 2000/-	15-08-2026 06.00 PM
3	2026_UAD_525978_2	Electrification works behind Manmeet Complex at 1 of Kukshi town	116248/- 01 माह	2000/- 2000/-	15-08-2026 06.00 PM

नोट - उपरोक्त कार्य के Amendments केवल वेबसाईट पर ही Corrigendums / Amend Details अन्तर्गत प्रकाशित किये जायेंगे। अन्य विस्तृत विवरण उपरोक्त पोर्टल पर अथवा कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देख जा सकते है।

(मयाराम सोलंकी)
मुख्य नगर पालिका
अधिकारी नगर परिषद कुक्षी जिला धार

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट ऑफिस: "चोला क्रेस्ट", C54 और 55, सुपर B-4, तिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032.

कब्जे का नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

मैं, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13[2] के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, एक डिमांड नोटिस (मांग सूचना) जारी करता हूँ। यह नोटिस 27.04.2026 (लोन अकाउंट नंबर TL01IND0000062173) को जारी किया गया था, जिसमें उधारकर्ता/सह-उधारकताओं - 1. मेसर्स ओम शिव शक्ति स्टोन क्रशर (उधारकर्ता), 2. श्री हरदीप सिंह परचार (सह-उधारकर्ता), 3. श्रीमती पुष्पा (सह-उधारकर्ता) - से कहा गया था कि वे नोटिस में बताई गई रकम रू. 53,33,055/- (तिरेपन लाख तैंतीस हजार पचपन मात्र) - जो 20.04.2026 तक बकाया थी - को उसके बाद के ब्याज और शुल्क के साथ, नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें।

चूंकि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता रकम चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैंने, एक्ट के सेक्शन 13 की सब-सेक्शन (4) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 30 जुलाई 2026 को नीचे बताई गई संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 की सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में है। उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का कोई लेन-देन न करें; संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधीन होगा। के बकाया जो **रू. 53,33,055/- (तिरेपन लाख तैंतीस हजार पचपन मात्र) 20.04.2026 तक**

अचल संपत्ति का विवरण

कोठाडी ताल गाँव (पटवारी हल्का नंबर 6, तहसील ताल, ज़िला रतलाम) में स्थित जमीन और घर (सर्वे नंबर 450/2) का पूरा हिस्सा। कुल जमीन का रकबा 0.05 हेक्टेयर (5380 वर्ग फीट / 500 वर्ग मीटर) है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: दूसरी जमीन; पश्चिम: सड़क, फिर बालूसिंह के बेटे सुरेश का घर, फिर तुलसीराम की जमीन; उत्तर: रास्ता; दक्षिण: रास्ता, फिर नागूलाल का घर।

दिनांक: 30.07.2026
स्थान: रतलाम

अधिकृत अधिकारी
मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 970/लीज़/2026 — **जाहिर सूचना** — दिनांक: 30.07.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित 04.05.2021 के प्रावधान अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निगम स्वामित्व की लीज भूमि/भवन पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। तालिका में वर्णित भूमि के संबध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को नामांतरण के संबंध में दावा-आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिन में लेखी प्रमाण के साथ निगम कार्यालय (लीज़ शाखा) में सम्पर्क कर प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नही होगी एवं आवेदक के पक्ष में लीज़ नामांतरण की कार्यवाही हेतु नगर निगम द्वारा यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

क्र.	मूल/पूर्व लीज गृहिता का नाम	आवेदक का नाम	लीज सम्पति का विवरण	आवेदन का आधार
1.	श्री मंगलम कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार श्री संजय मारू पिता श्री माणकचंद मारू	श्रीमती उषा पति स्व. श्री घनश्यामदास मूंदडा